

## कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

:: आदेश ::

श्री कमल किशोर शर्मा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ागँव-निवाई जिला टोंक जिनकी जन्मतिथि 26.01.59 वं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 04.12.80 हैं,ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 15.09.16 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही हैं । श्री कमल किशोर शर्मा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ागँव-निवाई जिला टोंक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की योग्य सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं ।

अतः प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ागँव-निवाई जिला टोंक को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है ।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)  
आई.ए.एस.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक-21/8/16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-7/कमलकिशोर/16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,अजमेर ।
- 2- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर ।
- 3- उपनिदेशक (माध्यमिक) अजमेर ।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) टोंक ।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ागँव-निवाई जिला टोंक ।
- 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जॉच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग ।
- 7- श्री कमल किशोर शर्मा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ागँव-निवाई जिला टोंक
- 8-प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर